-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मटौंध पुलिस द्वारा लूट व टप्पेबाजी के अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया शत् प्रतिशत माल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा थाना मटौंध क्षेत्र में लूट व टप्पेबाजी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 26.04.2025 को महोबा के रहने वाले एक व्यक्ति को मटौंध बस स्टैंड के पास एक मोटरसाइकिल सवार ने नमस्कार करते हुए अपनी पहचान से भ्रमित कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, कुछ दूर चलने के उपरांत अभियुक्त ने व्यक्ति से किसी काम के लिए कुछ पैसे मांगे। जब व्यक्ति ने उसे पैसे देने के लिए जेब से पैसे निकाले तो अभियुक्त ने तमंचा दिखाकर 47000 रुपये लूट कर वहां से भाग गया। इस संबंध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में अभियुक्त को मटौंध पुलिस द्वारा मौदहा रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को कब्जे से घटना में लूटे गये 47000 रुपए, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

बरामदगी-

- लूटे गए 47000 रुपए।
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय कुमार साहू पुत्र प्रेमनारायण साहू निवासी ग्राम लामा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा हाल पता बंगालीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 76/2025 धारा 316(2)/318(4)/309(4)/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मटौंध श्री सन्दीप कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार सरोज
3. का0 पुष्पेन्द्र कुमार
4. का0 महेन्द्र प्रताप सिंह